


**:: आदेश ::**

बैंक प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक 09.07.19 के प्रस्ताव अन्य विषय के क्रम संख्या-02 के क्रम में क्षेत्रीय प्रबन्धकों हेतु आर्वतक एवं अनावर्तक देयों की स्वीकृति हेतु प्रदान किये गये वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन निम्नवत् किया जाता है :-

क्र० सं०	पदनाम	आर्वतक एवं अनावर्तक देयों की स्वीकृति सीमा (रूपये में)
1	क्षेत्रीय प्रबन्धक	15,000/- (पन्द्रह हजार रूपये मात्र)

उपर्युक्त व्यवस्था आदेश निर्गत तिथि के पश्चात् प्रस्तुत बिलों की स्वीकृति के सम्बन्ध में लागू करते हुए क्षेत्रीय प्रबन्धक को क्षेत्रीय कार्यालय का आहरण एवं वितरण अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

  
(अन्द्रा वामसी) आई०ए०एस०,  
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि० प्रधान कार्यालय लखनऊ  
आदेशांक- 18860 /स्थापना/2019-20 दिनांक 20.07.19  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 :: समस्त शाखा/वरिष्ठ/क्षेत्रीय प्रबन्धक उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, उत्तर प्रदेश
- 2 :: समस्त अधिकारीगण, उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि० प्रधान कार्यालय लखनऊ।
- 3 :: प्रबन्धक (कम्प्यूटर) को शाखाओं की ई-मेल पर अपलोड करने हेतु।

  
प्रबन्ध निदेशक